भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3239

जिसका उत्तर दिनांक 23.03.2022 को दिया जाना है

परमाणु संयंत्रों में साइबर सुरक्षा में सेंध

3239. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी :
श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री मनोज तिवारी :
श्री राम कृपाल यादव :
श्री संगम लाल गुप्ता :
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी :
श्री राजबहादुर सिंह :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूरे विश्व में परमाणु संयंत्रों में साइबर सुरक्षा में सेंध की बढ़ती चुनौतियों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय परमाणु सुरक्षा अवसंरचना को सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उन देशों के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहयोग करने की कोई योजना है जिन्होंने मजबूत साइबर सुरक्षा प्रणाली और अवसंरचना विकसित करने हेतु सिविल परमाणु सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) जी, हां ।

(ख) भारतीय नाभिकीय स्थापना ने अपनी संस्थापनाओं में प्रयुक्त प्रणालियों के अभिकल्प, विकास और प्रचालन के लिए सख्त प्रक्रिया निर्धारित की है । संरक्षा और सुरक्षा क्रांतिक प्रणालियां, प्रयोक्ता विशिष्ट रूप से निर्मित हार्डवेयर और सॉफ्ट्वेयर का उपयोग करके अंतर्गृह अभिकल्पित और विकसित की गई हैं जो नियामक जांच और मान्यकरण के अधीन हैं और जिससे वे साइबर सुरक्षा खतरों के प्रति प्रतिरोधी बन सकें । नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापना की महत्वपूर्ण

अवसंरचना को इंटरनेट से अलग करके रखा गया है और इन प्रणालियों की पहुंच प्राधिकृत कार्मिक तक ही सीमित है और इन्हें निकटता से मॉनीटर किया जाता है । परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के पास विशेषज्ञ समूह अर्थात् कंप्यूटर और सूचना सुरक्षा सलाहकार समूह (सीआईएसएजी) और मापयंत्रण और नियंत्रण सुरक्षा के लिए कार्यदल (टीएएफआईसीएस) है जो नियमित साइबर सुरक्षा जांच सहित डीएई की अन्य संघटक यूनिटों में एनपीसीआईएल की साइबर सुरक्षा/सूचना सुरक्षा की निगरानी करता है । नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में इंटरनेट और प्रशासनिक इंटरानेट संयोजकता को मजबूत करना, अपनेय मीडिया पर प्रतिबंध, वेबसाइट और आईपी को निरूद्ध करना इत्यादि जैसे सूचना सुरक्षा को अधिक सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय भी किए गए हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) डीएई की सुविधाओं / संयंत्रों में साइबर सुरक्षा अवसंरचना डीएई सीआईएसएजी और भारत की केंद्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसियों जैसे सीईआरटी-इन द्वारा निर्धारित अभिकल्प सिद्धांतों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन करती है । संयंत्र में, सभी कंप्यूटर आधारित प्रणालियां परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद और टीएएफआईसीएस द्वारा स्थापित मानकों और दिशा-निर्देशों पर आधारित हैं जिनका बड़ा हिस्सा अंततः अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) द्वारा स्थापित मानकों से व्युत्पन्न है ।

* * * * *